

न्यायालय :- पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड
(आप.प्रक.क्रमांक :- 576 / 2014)
(संस्थित दिनांक :- 03 / 07 / 14)

म.प्र.राज्य,

द्वारा आरक्षी केन्द्र :- मौ।

जिला-भिण्ड., म.प्र.

..... अभियोजन।

/// विरुद्ध ///

01. रामस्वरूप राजपूत पुत्र बन्नाम सिंह राजपूत, उम्र 24 वर्ष,
निवासी :- ग्राम बरेठी, थाना-अमायन, जिला-भिण्ड (म.प्र.)।

..... अभियुक्त।

/// निर्णय ///

(आज दिनांक :- 20 / 03 / 2018 को घोषित)

01. आरोपी रामस्वरूप पर धारा 25 ((1-B)(b)) आयुध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप है कि उसने दिनांक :- 23 / 03 / 2014 को सुबह लगभग 08:35 बजे अंगसोली बस स्टेण्ड के पास सार्वजनिक मार्ग पर, आयुध अधिनियम की धारा 04 के तहत म.प्र.राज्य की अधिसूचना क्रमांक 6312-6552-।।बी (I) दिनांक : 22 / 11 / 1974 के उल्लंघन में एक निषेधित आकार का लोहे का धारदार छुरी बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के अपने आधिपत्य में रखी।

02. प्रकरण में कोई सारवान निर्विवादित तथ्य नहीं है।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :- 23 / 03 / 2014 को थाना मौ की चौकी झोंकरी के प्रधान आरक्षक नेकराम इलाका भ्रमण के दौरान आरोपी रामस्वरूप पुत्र बन्नाम सिंह राजपूत, निवासी :- बरेठी से अवैध रूप से शराब जब्त की थी एवं आरोपी को मौके पर गिरफ्तार कर आरोपी की जामा तलाशी साक्षीगण के समक्ष लेने पर आरोपी की कमर में एक छुरी मिली थी। आरोपी से छुरी रखने का लाईसेंस चाहा, तो उसने ना होना व्यक्त किया। आरोपी का उक्त कृत्य 25 बी आयुध अधिनियम की परिधि में आने से आरोपी से उक्त छुरी को साक्षीगण के जब्त कर जब्ती पत्रक बनाया गया। तत्पश्चात् मय माल मुल्जिम चौकी झोंकरी वापस आकर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 0 / 14 अन्तर्गत धारा 25 बी आयुध अधिनियम पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। उक्त जीरो की एफआईआर के आधार पर आरोपी के विरुद्ध थाना मौ में असल अपराध क्रमांक 115 / 14 अन्तर्गत धारा 25 बी आयुध अधिनियम पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। प्रकरण की विवेचना के दौरान साक्षी अवधेश एवं सुनील कुमार के कथन लेखबद्ध किये गये।

तत्पश्चात् विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04. अभियुक्त रामस्वरूप के विरुद्ध धारा 25 ((1-B)(b)) आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दंडनीय अपराध का आरोप निर्मित कर पढकर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। उसका अभिवाक् अंकित किया गया।

05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उसका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उसने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया।

06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है:-

01. क्या आरोपी रामस्वरूप ने दिनांक :- 23/03/2014 को सुबह लगभग 08:35 बजे अंगसोली बस स्टेण्ड के पास सार्वजनिक मार्ग पर, आयुध अधिनियम की धारा 04 के तहत म.प्र.राज्य की अधिसूचना क्रमांक 6312-6552-।।बी (I) दिनांक : 22/11/1974 के उल्लंघन में एक निषेधित आकार का लोहे का धारदार छुरी बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के अपने आधिपत्य में रखी?

02. अंतिम निष्कर्ष?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष

विचारणीय बिन्दु क्रमांक :- 01

07. अभियोजन साक्षी नेकराम शर्मा अ.सा.04 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 23/03/2014 को पुलिस थाना मौ की चौकी झाँकरी में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को इलाका गश्त हेतु उसे मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति अवैध शराब लिये अशुई गांव के पास बेचने की नियत से खड़ा है। साक्षी आगे कहता है कि मुखबिर की सूचना की तश्दीक हेतु मय हमराह फोर्स मुखबिर के बताये स्थान पर पहुँचे, वहाँ पर एक व्यक्ति पुलिस को देखकर सकपका कर भागने लगा, जिसे हमराह फोर्स की मदद से घेरकर पकड़ा। साक्षी आगे कहता है कि आरोपी के हाथ से उसके आधिपत्य से 17 क्वार्टर देशी शराब पाया गया, इस वावत् लाईसेंस चाहा तो ना होना व्यक्त किया। आरोपी से उसका नाम एवं पता पूछने पर उसने अपना नाम रामस्वरूप पुत्र बनाम सिंह राजपूत होना बताया। साक्षी आगे कहता है कि आरोपी की तलाशी लेने पर उसके बाईं तरफ कमर में एक लोहे की छुरी मिली, जिसके संबंध में लाईसेंस चाहा तो आरोपी ने ना होना व्यक्त किया। आरोपी का कृत्य धारा 25 बी आयुध अधिनियम की परिधि में आने से उसके द्वारा मौके पर साक्षीगण के समक्ष आरोपी से छुरी जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.01 बनाया, जिसके सी से सी

भाग पर उसके हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् उसके द्वारा आरोपी रामस्वरूप को साक्षीगण के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.02 बनाया, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी आगे कहता है कि तत्पश्चात् मय माल आरोपी को चौकी झाँकरी वापस लाकर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 0/14 अन्तर्गत धारा 25 बी आयुध अधिनियम पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई, जो प्र.पी.05 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी आगे कहता है कि तत्पश्चात् प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना प्रभारी मौ को असल कायमी हेतु प्रेषित की गई। वापसी रोजनामचा सान्हा की सत्यप्रति प्र.पी.06 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी आगे कहता है कि उसके द्वारा दिनांक : 23/03/2014 को साक्षी अवधेश एवं आरक्षक सुनील कुमार के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये थे। साक्षी आगे कहता है कि न्यायालय में प्रस्तुत छुरा वही छुरा है, जो उसके द्वारा आरोपी से घटनास्थल पर जब्त किया गया था, छुरा आर्टिकल ए-01 है, उस पर लपटी हुई जब्ती की चिट के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

08. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में नेकराम अ.सा.04 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि जब्ती पत्रक प्र.पी.01 पर जब्तशुदा आयुध का कोई छायाचित्र नहीं बनाया गया है और जब्ती पत्रक प्र.पी.01 पर कोई थाने की सील भी अंकित नहीं है। जब्ती पत्रक प्र.पी.01 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि उस पर लोहे की किसी छुरी का कोई अक्श नहीं बना हुआ है और ना ही उस पर कॉलम नम्बर 13 में कोई थाना की नमूना सील अंकित है। जब्तीकर्ता नेकराम शर्मा अ.सा.04 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहीं पर भी यह दर्शित नहीं किया है कि उसके द्वारा जब्तशुदा चाकू आर्टिकल ए-01 को मौके पर ही सीलबंद किया गया था। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में नेकराम अ.सा.04 का इस वावत् कहना है कि उसके पास घटनास्थल पर चपड़ी, कपड़ा अथवा थाने की सील नहीं थी। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में साक्षी ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि आर्टिकल ए-01 पर किसी साक्षी के कोई हस्ताक्षर नहीं कराये गये थे। ऐसी दशा में कथित रूप से आरोपी से घटनास्थल पर जब्तशुदा चाकू आर्टिकल ए-01 पर अक्श जब्ती पत्रक प्र. पी.01 पर ना होने, जब्ती पत्रक पर सील नमूना अंकित ना होने, नेकराम अ.सा.04 द्वारा आयुध को सीलबंद किये जाने का कोई तथ्य दर्शित ना किये जाने और कथित रूप से जब्तशुदा आयुध आर्टिकल ए-01 पर लगी हुई जब्ती चिट पर जब्ती के साक्षीगण के कोई हस्ताक्षर ना होने से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि यह प्रमाणित नहीं माना जा सकता कि न्यायालय में प्रस्तुत आयुध आर्टिकल ए-01 वही आयुध है, जो कथित रूप से आरोपित घटना में आरोपी रामस्वरूप से जब्त किया गया था।

09. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में नेकराम अ.सा.04 ने उसे आर्टिकल ए-01 की छुरी दिखाकर पूछे जाने पर उसमें बेट लगा होना दर्शित किया है। जब्ती पत्रक प्र.पी.01 में भी जब्तशुदा आयुध पर चार अंगुल चौड़े बेट के लगे होने का उल्लेख है, जबकि न्यायालय द्वारा नेकराम अ.सा.04 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के दौरान देखे जाने पर आर्टिकल ए-01 पर कोई बेट लगा होना नहीं पाया गया। इस तथ्य से

भी यह दर्शित होता है कि अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष आरोपी से जब्तशुदा आयुध के रूप में प्रस्तुत आर्टिकल ए-01 वह आयुध नहीं है, जो कथित रूप से आरोपित घटना में आरोपी से जब्त किया गया था।

10. जीरो की एफआईआर प्र.पी.05 के पद क्रमांक 13 के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि प्रधान आरक्षक नेकराम जो कि प्रकरण में जब्ती एवं गिरफ्तारीकर्ता तथा एफआईआर प्र.पी.05 का लेखक है, के द्वारा उक्त हस्तगत अपराध की विवेचना स्वयं को ही सौंप दी गई। जबकि प्रकरण में अभी मूल अपराध पंजीबद्ध होकर असल प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध किया जाना शेष था। नेकराम अ.सा.04 द्वारा ऐसा क्यों किया गया, इसका कोई कारण उसके द्वारा दर्शित नहीं किया गया। नेकराम अ.सा.04 द्वारा उसके मुख्य परीक्षण में यह दर्शित किया गया है कि उसके द्वारा दिनांक : 23/03/2014 अर्थात् आरोपित घटना के दिन ही साक्षी अवधेश एवं आरक्षक सुनील के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये थे। परन्तु नेकराम अ.सा.04 ने यह दर्शित नहीं किया है कि उक्त कथन उसके द्वारा किस समय एवं किस स्थान पर लेखबद्ध किये गये। प्रकरण में जब्ती एवं गिरफ्तारी के साक्षी आरक्षक सुनील कुमार अ.सा.01 ने उसके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में यह दर्शित किया है कि उसके कथन घटनास्थल पर ही लिये गये थे, एक कथन और लिया गया था किन्तु वह व्यक्ति कौन था, उसे नहीं पता। इस प्रकार प्रकरण में जब्ती एवं गिरफ्तारीकर्ता नेकराम अ.सा.04 द्वारा जीरो की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.05 लेखबद्ध किये जाने के पूर्व ही बिना विवेचना उसे प्राप्त हुये बिना मूल अपराध पंजीबद्ध हुये साक्षीगण के कथन मौके पर ही लेखबद्ध किया जाना प्रकरण की सत्यता को गंभीर रूप से संदेहास्पद बनाता है।

11. अभियोजन साक्षी सुनील कुमार अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 23/03/2014 को पुलिस चौकी झोंकरी थाना मौ में आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को वह प्रधान आरक्षक नेकराम शर्मा के साथ इलाका गश्त के लिए रवाना हुये थे। साक्षी आगे कहता है कि दीवान जी को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई, सूचना की तश्दीक हेतु ग्राम अंगसोली बस स्टेण्ड पर पहुँचे, तो एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगा, जिसे घेरकर उसने एवं दीवान जी ने पकड़ा। साक्षी आगे कहता है कि आरोपी से उसका नाम एवं पता पूछने पर उसने अपना नाम रामस्वरूप राजपूत होना बताया। साक्षी आगे कहता है कि दीवान जी ने समक्ष साक्षीगण तलाशी ली तो कमर में बाईं तरफ एक छुरी खुरसे पाया गया, आरोपी से उक्त छुरी रखने वावत् लाईसेंस चाहे जाने पर, उसने ना होना व्यक्त किया। साक्षी आगे कहता है कि आरोपी से दीवान जी ने एक छुरी जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.01 बनाया, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.02 बनाया, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

12. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में सुनील अ.सा.01 ने यह दर्शित किया है कि वह यह नहीं बता सकता कि वह चौकी झोंकरी से सुबह कितने बजे निकले थे।

साक्षी ने यह भी दर्शित किया है कि आरोपी से शराब कितने बजे पकड़ी गई थी, वह नहीं बता सकता। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में सुनील अ.सा.01 ने आरोपी की जब्ती एवं गिरफ्तारी का समय भी उसे ध्यान ना होना दर्शित किया है। इस प्रकार कथित चक्षुदर्शी साक्षी आरक्षक सुनील अ.सा.01 द्वारा आरोपित घटना का समय आदि ना बता पाना अभियोजन कथा की सत्यता को संदेहास्पद बनाता है।

13. अभियोजन साक्षी सुल्तान सिंह अ.सा.02 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 23/03/2014 को पुलिस थाना मौ में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को चौकी झाँकरी से अपराध क्रमांक 0/14 धारा 25 बी आर्म्स एक्ट की प्रथम सूचना रिपोर्ट आरक्षक सुनील के द्वारा असल कायमी हेतु थाने पर लाये जाने पर अपराध क्रमांक 115/2014 अन्तर्गत धारा 25 बी आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई थी, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.03 उसके द्वारा लिखी गई थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रकरण की अग्रिम विवेचना हेतु प्रधान आरक्षक नेकराम शर्मा को एफआईआर सौंप दी गई थी। सुल्तान अ.सा.02 का जीरो की एफआईआर के आधार पर असल प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.03 लेखबद्ध किये जाने संबंधी न्यायालयीन अभिसाक्ष्य प्रति-परीक्षण उपरांत भी पूर्णतः अखण्डित रहा है, जिसकी सारतः पुष्टि असल प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.03 के तथ्यों से भी हो रही है।

14. घटना के एक अन्य कथित चक्षुदर्शी साक्षी अवधेश अ.सा.03 ने अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है।

15. इस प्रकार उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी रामस्वरूप ने दिनांक :- 23/03/2014 को सुबह लगभग 08:35 बजे अंगसोली बस स्टेण्ड के पास सार्वजनिक मार्ग पर, आयुध अधिनियम की धारा 04 के तहत म.प्र.राज्य की अधिसूचना क्रमांक 6312-6552-।।बी (I) दिनांक : 22/11/1974 के उल्लंघन में एक निषेधित आकार का लोहे का धारदार छुरी बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के अपने आधिपत्य में रखी।

अंतिम निष्कर्ष

16. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन आरोपी रामस्वरूप के विरुद्ध धारा 25 ((1-B)(b)) आयुध अधिनियम के आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपी रामस्वरूप को आयुध अधिनियम की धारा 25 ((1-B)(b)) के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

17. आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

18. प्रकरण में जब्तशुदा लोहे की छुरी मूल्यहीन होने के कारण नष्ट कर व्ययनित किया जाये। अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के व्ययन संबंधी आदेश का पालन किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद